

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/502

दिनांक:- 17/8/17

आदेश

आदेश क्रमांक 1390 दिनांक 31.03.16 एवं 1391 दिनांक 31.03.16 के द्वारा मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर में आय कर विभाग एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर को फ्लेट सं. 12/बी.- 402, 403, 503, 603, 702, 703, 801, 903, 1001, 1003 व 12/बी.1-103, 303, 401, 402, 403, 503, 601, 703, 801, 803, 901, 12/बी-103, 201, 202, 203, 302 व 303 कुल 21+6 दोनों संस्थाओं को कुल 27 फ्लेटों का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन संबंधित विभागों द्वारा फ्लेटों को नहीं लिये जाने की सहमति पर मण्डल की 234 वीं बैठक दिनांक 31.07.2017 के बिन्दु सं. 234.6 में लिये गये निर्णयनुसार दोनों संस्थाओं को आवंटित फ्लेटों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य संपदा प्रबंधक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

1. निजी-सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक (विधि) रा.आ.मण्डल जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय रा.आ.मण्डल जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम रा.आ.मण्डल जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य संपदा प्रबंधक रा.आ.मण्डल जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -द्वितीय, रा.आ.मण्डल जयपुर।
7. आवासीय अभियंता खण्ड-षष्ठम् एवं नवम् रा.आ.मण्डल जयपुर।
8. उप आयुक्त आय कर विभाग, मुख्यालय राजस्थान, केन्द्रीय राजस्व भवन, भगवान दास रोड, जयपुर।
9. महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रिय कार्यालय 101-ए, 101-बी व 102 किसान भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-302015
10. संयुक्त एनॉलिस्ट (निदेशक) रा.आ.मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
11. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.मण्डल जयपुर।
12. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा.आ.मण्डल जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य संपदा प्रबंधक